संख्या- 07 /2023/77-3099/33/2023/001-252

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-**3** लखनऊ : दिनांक 16 मार्च ~~फरवरी~~, **2023**

विषय:- डिफेन्स कॉरिडोर परियोजनान्तर्गत अलीगढ नोड के अन्तर्गत जनपद अलीगढ के तहसील खैर ग्राम अण्डला में फेस-**3** हेतु अधिगृहीत भूमि के चारों ओर आटोक्लेब्ड एयरेटेड सीमेन्ट ब्लाक मेसेनरी द्वारा बाउण्ड्री वॉल के निर्माण हेतु धनराशि रू**0 255.11** लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक **7809/2123/**टी**0**सी**0-1/**यूपीडा/**2023** तक**0** दिनांक **30.01.2023** एवं पत्रांक **8133/**यूपीडा/डिफकॉरि/तक**0/2120** दिनांक **09.02.2023** का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु अलीगढ नोड के तहसील खैर ग्राम अण्डला में फेस-**3** हेतु अधिगृहीत भूमि के चारों ओर आटोक्लेब्ड एयरेटेड सीमेन्ट ब्लाक मेसेनरी द्वारा बाउण्ड्री वॉल के निर्माण हेतु धनराशि रू**0 255.11** लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अलीगढ नोड के अन्तर्गत जनपद अलीगढ के तहसील खैर ग्राम अण्डला में फेस-**3** हेतु अधिगृहीत भूमि के चारों ओर आटोक्लेब्ड एयरेटेड सीमेन्ट ब्लाक मेसेनरी द्वारा बाउण्ड्री वॉल के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष **20222023** के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 0 0 7 लेखा**

शीर्षक 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू **0 40000.00** लाख में से धनराशि रू**0 255.11** लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1. धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते में रखा जायेगा।
2. उक्त धनराशि का उपयोग केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
3. यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्योका क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।
5. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार कियाजायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग.**1** के शासनादेश सं**0.13/2022/**बी-**1-454/**दस-**2022-231/2022** दिनांक **07.06.2022** मे द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
7. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति/डुप्लीकेसी को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यूपीडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।
8. उ**0**प्र**0** इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट **1976** के संबंधित प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **2,55,11,000 (** रुपये दो करोड़ पचपन लाख ग्यारह हजार मात्र **)** को चालू वित्तीय वर्ष **2022-23** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **007** लेखा शीर्षक **5054033370800** बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या - **13 / 2022/** बी-**1-454/**दस-**2022-231/2022,** दिनांक- **07-**जून **2022** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Signed by मनोज कुमार मौर्य
Date: 16-03-2023 20:00:31
Reason: Approved

भवदीय,

(मनोज कुमार मौर्य),
उप सचिव,

संख्या- 07 **/2023/77-3099/33/2023/001-252,** तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, **(**लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2. महालेखाकार, **(**लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।

4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।

6. वित्त (ई-**6)** अनुभाग-**6/**औद्योगिक विकास अनुभाग-**2**

7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1**

8.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।

9. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य),
उप सचिव,